न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 85 / 2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

हर्ष बैनीवाल पुत्र श्री सुभाष बैनीवाल जाति जाट उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.......वादी

बनाम

1. सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम ज़ाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री विजयकुमार भाटी (वादी)
अधिवक्ता सुश्री सीमा सिसोदिया (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रति.–2)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक 15.09.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष बैनीवाल, वादी के पिताजी, है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45 / 34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कल 13.487 है नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के पिताजी / प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सलतानराम के नाम 4595 / 13487 हिस्सा यानि 4.595 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी सुलतानराम पुत्र धोंकलराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामा के द्वारा विरास्त में प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 45 / 34 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र (हर्ष बैनीवाल (वादी) है इसके अलावा प्रतिवादी 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार की वंशावली निम्न प्रकार के 4. यहकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
हर्ष बैनीवाल पुत्र सुभाष बैनीवाल जाति जाट निवासी गांव	चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की

	8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम के नाम दर्ज 4595/13487 हिस्सा यानि 4.595 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि
सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर	चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के संयक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 (राजस्थान) हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम के नाम दर्ज 4595/13487 हिस्सा यानि 4.595 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.571 हैक्टर कृषि भूमि

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त बंटवारा में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण सहकारी अण मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 13/07/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भमि का गलत रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया :–

(क) कि प्रतिवादी सं. 1 सुभाष बैनीवाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम के नाम दर्ज 4595/13487 हिस्सा यानि 4.595 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि वादी हर्ष बैनीवाल पुत्र सुभाष बैनीवाल की घोषित की जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 26.08.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम के नाम दर्ज 4595/13487 हिस्सा यानि 4.595 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि वादी हर्ष बैनीवाल पुत्र सुभाष बैनीवाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बंटवारा में दी हुई है । अतः उक्त राजीनामानुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम के नाम दर्ज 4595/13487 हिस्सा यानि 4.595 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मताबिक में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि वादी हर्ष बैनीवाल पुत्र सुभाष बैनीवाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का कुर्सीनामा व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी (वादी की माता) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 5 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 45/34, वादी द्वारा अपने दादा सुलतान से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन इन्ताकल जमाबंदी 5 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ. नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 254/53 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की। वादी के द्वारा प्रस्तुत सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुलतानाराम का नाम शुद्धि कर सुभाष बेनीवाल किये जाने का आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.11.2017 की प्रति पेश की। जिसके आधार पर विरास्तन इन्तकाल के समय सुरेन्द्र सिंह एवं वर्तमान प्रतिवादी सुभाष बेनीवाल एक ही व्यक्ति है, जो कि वादी का पिता है। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदी व विरास्तन इंतकाल के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के

अनवान हर्ष बैनीवाल बनाम सुभाष बैनीवाली
बाद मुकदमा नं. 85/2020

–:: आदेश ::–

अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष बैनीवाल पुत्र श्री सुलतानराम के नाम दर्ज 4595/13487 हिस्सा यानि 4.595 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि का वादी हर्ष बैनीवाल पुत्र सुभाष बैनीवाल को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.09.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *